

Mandatory Enclosure

SCHOOL AFFILIATION NO.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
Central Board of Secondary Education
संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0
As per new Affiliation Bye-Laws



Contact Us

Grant Letter for--:EX-02083-1920

NO : CBSE/AFF/3530371 /EX-02083-1920/2019-20/

Dated: 17/10/2020

The Manager,
delhi public school
village garhi inderjeet, p.o. partappur, tehsil - kashipur, distt - u.s. nagar (u.k)
UTTARAKHAND,UDHAM SINGH NAGAR , 244713
(M: 05947-223057,)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-02083-1920

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No : 3530371
Affiliated for : Senior Secondary
Category : Extension of General Affiliation

SCHOOL INFRASTRUCTURE

Particular	No.
Total Campus Area of the School (In square Mtr.)	60702.80 Sq. Mtr.
No. and Size of the Class Rooms (In Square Mtr.)	No. 36 52.42 Sq. Mtr. (each)
No. and Size of Laboratories Including Computer Labs (In square Mtr.)	No. 5 106.28 Sq. Mtr. (each)
Inter Facility	Yes
No. of Girls Toilets	12
No. of Boys Toilets	12

SOCIETY REGISTRATION



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या : RENEW0823007473

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एस जागीर सिंह ऐजुकेशनल सोसायटी, Gram-Grahi Inderjeet, PO-Pratappur, Tehsil-Kashipur Udham Singh Nagar Uttarakhand 244713 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK0670352023011068, दिनांक : 14-AUG-2003 को दिनांक : 13-AUG-2028 तक के लिए नवीकृत किया गया है। रु 14400 /- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक : 10-OCT-2023

सोसाइटी-रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

Signature valid

Digitally signed by: Dr Pankaj Kumar Shukla
Reason : SOCIETY E-Approval
Location: U S Nagar Treasury
Date and Time: 10-10-2023 10:15:22

नोट :- कृपया पत्राचार करते समय पत्रावली संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

SCHOOL NOC

2

संख्या: 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 28 जून, 2013

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर, उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः...2..

- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (ट) उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1029/XXIV-3/13/01(23)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

SCHOOL SANITATION CERTIFICATE

No - 3345/16

नईजीम वार
काशीपुर

महोदय

~~गार्भनाथ पत्र प्रकाशक दिल्ली पब्लिक स्कूल - काशीपुर
गांधी इ-इजीम पर आपका आदेश के क्रम में पत्रों के
पर जाकर जांच की जांच कराया निम्न प्रकार है
दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधी इ-इजीम नं. - काशीपुर
जिला - उधम सिंह नगर में स्थित है दिल्ली पब्लिक स्कूल
में पानी की व्यवस्था ठीक है तथा स्कूल में R.O लागा है
तथा शौचालय व साफ सफाई की उचित व्यवस्था है।
शिवांगी सेना में प्रेषित~~

[Signature]
20/7/16
अरुण कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - इलाहाबाद

महोदय

राजस्व उप निरीक्षक की उचित कार्रवाई कृतज्ञाति।

[Signature]

20/7/2016
उद्यम सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर
तहक काशीपुर (उ०सि०न०)

[Signature]
तहसीलदार
काशीपुर (उद्यम सिंह नगर)

अतिरिक्तार्थ

[Signature]
07/07/16

उप निरीक्षक कार्यालय
काशीपुर
जिला-उधम सिंह नगर

SAFE DRINKING WATER CERTIFICATE

Ref no: 08/GHMNTL/2013

Certificate

This is to certify that Delhi Public School, Kashipur has an R.O. drinking water filter system installed in the school. The drinking water is safe for the use in the school.

The school is maintaining high standards of hygiene and sanitation as required.

विकिसोपिडिया
भारत • इंडो • विकि • जालपत्र • विकि
विद्या-विद्यालय (संस्कृत) • विकि

16/11/13
Dr. Amarjeet Singh.

M.D (Physician)

M.O (Maldhar charya)

Ramnagar Naidital

Reg No. Delhi MCI. 3210.7

Uttaranchal MCI 1277.

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Letter No:-


18 / 4c

Date:- 3/2/18

CERTIFICATE

This is to Certify That the Building of Delhi Public School Kashipur at Garhi Inderjeet P.O. Pratappur Kashipur U.S.Nagar Uttarakhand has been Constructed as per drawing and structural norms of Civil Engineering has been followed for construction of said building. The Structure of building is safe from Civil Engineering point of view.

This Certificate is being issued for the purpose of affiliation from the CBSE.


03.02.2018
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सो० नि० विभाग
काशीपुर (उ० सि० नगर)